MAINS MATRIX

विषय सूची

1.संवैधानिक स्पष्टता
2.जीएसटी 2.0 — अल्पकालिक पीड़ा, संभावित दीर्घकालिक लाभ
3.हर भारतीय के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित बनाना
4.'न्यायिक प्रयोगवाद' बनाम न्याय का अधिकार

1. संवैधानिक स्पष्टता

सर्वोच्च न्यायालय का राज्यपालों पर निर्णय: विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोकने का कोई अधिकार नहीं

1. **राज्यपाल अनिश्चितकाल तक रोक नहीं सकते:** सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में स्पष्ट किया गया कि राज्यपालों को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देने में अनिश्चितकाल तक देरी करने का अधिकार नहीं है।
2. **असीमित विवेक का निषेध:** न्यायालय ने माना कि संविधान में समय-सीमा पर चुप्पी का अर्थ यह नहीं है कि राज्यपालों को असीमित शक्ति मिल गई है कि वे विधेयकों को रोक कर रखें, क्योंकि यह लोकतांत्रिक शासन को पंगु बना देता है।
3. **राजनीतिक पक्षपात का आरोप:** समस्या नियमों की अस्पष्टता नहीं, बल्कि उनका चयनात्मक उपयोग है, क्योंकि केवल विपक्ष-शासित राज्यों में ही ऐसी लंबी देरी देखी जाती है।
4. **केंद्र सरकार की पद्धति पर प्रश्न:** राष्ट्रपति संदर्भ का उपयोग केंद्र द्वारा एक असामान्य और अनावश्यक रास्ता माना गया, क्योंकि यह बाध्यकारी न्यायालय के फैसले को दरकिनार नहीं कर सकता।
5. **संघीय संतुलन की रक्षा:** अप्रैल 2025 का निर्णय और वर्तमान कार्यवाही संविधान की सीमाओं को मजबूत करती है ताकि राज्य की स्वायत्तता और संघीय ढांचे को कार्यपालिका के अतिक्रमण से बचाया जा सके।

2. जीएसटी 2.0 — अल्पकालिक चुनौती, संभावित दीर्घकालिक लाभ

जीएसटी 2.0: संक्षिप्त अवलोकन

- **मूल GST का उद्देश्य:**
  - उपभोग और उत्पादन दक्षताओं को बढ़ाना।
  - *Destination-based tax system*: कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता पर, इनपुट टैक्स पर रिबेट।
- **मूल GST की कमी:**
  - कई कर दरें, उलटा ड्यूटी स्ट्रक्चर।
  - जटिल **compensation cess** तंत्र के कारण उच्च अनुपालन लागत।
- **GST 2.0 प्रभावी तिथि:** 22 सितंबर, 2025।

---

1. नई कर संरचना

• **बंद दरें:** 12% और 18% स्लैब समाप्त।

• **जारी दरें:**

- 0%, 5%, और 18% (कवर किए गए माल और सेवाओं में बदलाव के साथ)।
- छह वस्तुओं और लग्ज़री आइटम के लिए नई **डिमेरिट दर 40%**।
- कुछ विशेष दरें 5% से नीचे जारी।

• मुख्य लाभार्थी क्षेत्र:

- **उपभोग:** वस्त्र, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य, अधिकांश खाद्य पदार्थ।
- **उत्पादन:** उर्वरक, कृषि मशीनरी, अक्षय ऊर्जा (किसानों के लिए इनपुट लागत में कमी)।

---

2. दर परिवर्तन का पैमाना

- 54% वस्तुओं में दरें बदली:
  - 80% में दरें कम हुईं।
  - ~20% में दरें बढ़ीं।
- **बढ़ोतरी का स्वरूप:** 28% से 40% (डिमेरिट/लक्ज़री वस्तुओं) में मुख्यतः **compensation cess का विलय**, वास्तविक बढ़ोतरी नहीं।

---

3. राजस्व प्रभाव

- **सूत्र:** GST राजस्व (R) = कर दर (r) × कर आधार (B), B = p × q (पूर्व-कर मूल्य × मात्रा)
- **दर कटौती के दोहरे प्रभाव:**
  1. **प्रत्यक्ष प्रभाव:** दर कम होने से राजस्व घटेगा।
  2. **अप्रत्यक्ष प्रभाव:** कम कर के बाद कीमतें घटने से मांग बढ़ सकती है, कुछ घाटा वसूल हो सकता है।
- **कुल मूल्यांकन:** कर दर में प्रतिशत गिरावट से पोस्ट-टैक्स कीमत में गिरावट बहुत कम।
- **अनुमानित राजस्व हानि:**
  - वित्त मंत्रालय: ₹48,000 करोड़/वर्ष।
  - अन्य अनुमानों में अधिक।

---

4. आय और व्यवहारिक प्रभाव (दीर्घकालिक लाभ)

- **डिस्पोजेबल आय:** सरकार के राजस्व नुकसान से करदाताओं की आय बढ़ेगी।
- **उपभोक्ता व्यवहार:** अधिक आय खर्च पर जाएगी:
  - आवश्यक वस्तुओं की मांग (5% स्लैब) लोचहीन।
  - अतिरिक्त खर्च उच्च स्लैब (18%, 40%) पर – आराम और लक्ज़री।
- **परिणाम:** दीर्घकालिक में राजस्व बढ़ाने वाला व्यवहार।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

---

5. संरचनात्मक मुद्दे और कैस्केडिंग

- नई संरचना पूरी तरह से **कैस्केडिंग (कर पर कर)** को नहीं रोकती।
- कारण:
  - **Exempt category:** इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं, इनपुट पर कर अंतिम कीमत में जोड़ता है।
  - **Low-rate categories (0%, 5%):** इनपुट 18% कर में; ITC मिलने योग्य, लेकिन दावा करने में बाधाएं।

---

6. मैक्रोइकॉनॉमिक प्रभाव

- **राजकोषीय घाटे का दबाव:**

- GST राजस्व की कमी + वास्तविक GDP वृद्धि अपेक्षा से कम (Q1: 8.8% vs बजट: 10.1%)
- प्रत्यक्ष कर में गिरावट (-4.3% vs +33.6% पिछला वर्ष)
- → 2025–26 में अधिक व्यापक घाटा।

सरकार के विकल्प (सभी चुनौतीपूर्ण):

1. व्यय घटाना → विकास पर नकारात्मक प्रभाव।
2. राजकोषीय घाटा बढ़ाना → स्थिरता जोखिम।
3. मौद्रिक प्रोत्साहन (दर कटौती/तरलता) → मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा।

- **राज्य सरकारें:** अधिक उधार या व्यय कटौती के लिए मजबूर।

---

7. विकास पर निष्कर्ष

- **अल्पकालिक:** कर कटौती से मांग को बढ़ावा → विकास समर्थन।
- **दीर्घकालिक:** स्थायी विकास बचत, निवेश दर और ICOR द्वारा।

---

8. प्रमुख दर और मूल्य परिवर्तन

कर दर में बदलाव	कर दर में प्रतिशत गिरावट	पोस्ट-टैक्स मूल्य में प्रतिशत गिरावट
18% → 5%	72.2%	11%
12% → 5%	58.3%	6.3%
28% → 18%	35.7%	7.8%
18% → 0%	100%	15.3%
12% → 0%	100%	10.7%
5% → 0%	100%	4.8%

यूपीएससी सिलेबस से लिंक और रणनीतिक उपयोग

---

1. GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास (प्राथमिक लिंक)

• सिलेबस टॉपिक:

- सरकारी बजट (संसाधनों का संग्रह, राजकोषीय नीति, राजकोषीय घाटा)
- उदारीकरण के प्रभाव (औद्योगिक नीति में बदलाव)
- निवेश मॉडल (समावेशी विकास)

• सामग्री का उपयोग कैसे करें:

1. **"सुधार के लाभ" के साक्ष्य के रूप में:**
   - आर्थिक सुधारों की सफलता पर चर्चा करते समय, **GST 2.0** को एक समकालीन उदाहरण के रूप में प्रयोग करें।
   - तर्क: यह प्रारंभिक खामियों को सुधारने, अनुपालन भार कम करने (Ease of Doing Business), और विशिष्ट क्षेत्रों (वस्त्र, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स) को कर दर घटाकर निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए है।
2. **"राजकोषीय चुनौतियों" पर चर्चा करने के लिए:**
   - तर्क: कर कटौती अल्पकाल में राजकोषीय रूप से महंगी।
   - साक्ष्य: अनुमानित ₹48,000 करोड़ राजस्व हानि का हवाला। राजस्व सूत्र ($R = r \times B$) से समझाएँ कि क्यों दर गिरावट, मांग वृद्धि से अधिक प्रभाव डालती है।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- निहितार्थ: इसे "Macro-Fiscal Implications" से जोड़ें। यह घाटा राजकोषीय घाटे पर दबाव डालता है, जिससे विकास-समर्थक व्यय घटाने या घाटा लक्ष्य तोड़ने का कठिन विकल्प सामने आता है।

3. **भारतीय अर्थव्यवस्था में "संरचनात्मक मुद्दों" को समझाने के लिए:**
   - **Inverted Duty Structure:** यह दिखाने के लिए कि कैसे अच्छी मंशा वाली नीतियाँ (0% कर अंत उत्पाद पर) असंतुलन पैदा कर सकती हैं और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने में बाधा डाल सकती हैं।
   - **Input Tax Credit (ITC) Bottlenecks:** इसे GST की दक्षता कम करने वाली प्रमुख बाधा के रूप में बताएं, जिससे करों के "cascading effect" को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता।

---

2. GS पेपर II: शासन, संविधान और राजनीति (द्वितीयक लिंक)

• सिलेबस टॉपिक:

- संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ
- शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता और जवाबदेही

• सामग्री का उपयोग कैसे करें:

1. **"सहकारी संघवाद" का विश्लेषण:**
   - **GST काउंसिल** दुनिया का सबसे बड़ा राजकोषीय संघवाद प्रयोग है। कोई भी बदलाव (जैसे GST 2.0) केंद्र और राज्यों के बीच जटिल वार्ताओं का परिणाम है।
   - तर्क: राजस्व हानि केवल केंद्र की समस्या नहीं है। चूंकि राज्यों को मुआवजा गारंटी है, राजस्व में तेज गिरावट संघीय समझौते की वित्तीय व्यवहार्यता की परीक्षा लेती है और केंद्र और राज्यों के बीच तनाव पैदा कर सकती है।
   - इसे यह दिखाने के लिए प्रयोग करें कि आर्थिक सुधारों के राजनीतिक और संघीय आयाम भी हैं।
2. **"शासन" पर प्रकाश डालना:**
   - स्लैबों की सरलता: 6 स्लैब (0%, 5%, 12%, 18%, 28% + Cess) → 4 स्लैब (0%, 5%, 18%, 40%)
   - यह पारदर्शिता और प्रशासनिक सरलता की ओर कदम है।
   - GST 2.0 को एक शासन सुधार के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो आम नागरिक के लिए समझने में आसान और प्रशासन के लिए सरल है।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

3. हर भारतीय के लिए सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना

- **विश्व रोगी सुरक्षा दिवस (17 सितम्बर)** हमें याद दिलाता है कि प्रगति के बावजूद, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा अब भी दूर की मंज़िल है।
- रोगी सुरक्षा एक **सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता** है और स्वास्थ्य प्रणाली की दक्षता का पैमाना है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

- अस्पताल में भर्ती हर **10 में से 1 रोगी** को नुकसान होता है।
- बाह्य-रोगी देखभाल में **10 में से 4 रोगी** को हानि पहुँचती है।
- **WHO का ग्लोबल पेशेंट सेफ्टी एक्शन प्लान** सभी स्वास्थ्य प्रणालियों में सुरक्षा को समाहित करने पर जोर देता है।

भारतीय परिदृश्य

- **बढ़ते जीर्ण रोग**: कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, मानसिक स्वास्थ्य विकार → लंबे इलाज → सुरक्षा चूक की अधिक संभावना।
- **आपातकालीन देखभाल जोखिम**: अनेक विशेषज्ञों के बीच समन्वय की कमी।
- **दैनिक जोखिम**: असुरक्षित दवा संयोजन, निदान में देरी, रोकी जा सकने वाली गिरावटें, गलत पर्चे।

रोगी हानि के प्रकार

- **जटिल घटनाएँ**: अस्पताल में होने वाले संक्रमण, असुरक्षित इंजेक्शन, ट्रांसफ्यूज़न त्रुटियाँ, रक्त के थक्के।
- **दैनिक घटनाएँ**: गलत दवाएँ, स्वयं दवा लेना, रिपोर्ट न किए गए रिएक्शन, निदान में देरी।

मुख्य चुनौतियाँ

- **प्रणालीगत खामियाँ**: स्टाफ की कमी, त्यागपत्र, लंबे शिफ्ट → थकान और त्रुटियाँ।
- **दोहरी समस्या**:
    - बोझ से दबे स्वास्थ्यकर्मी।
    - निष्क्रिय रोगी जो प्रश्न पूछने से हिचकते हैं।

साझी जिम्मेदारी

- रोगी सुरक्षा = सामूहिक दायित्व (डॉक्टर, नर्स, रोगी, परिवार, प्रणाली)।
- **रोगी की भूमिका**: प्रश्न पूछना, रिकॉर्ड रखना, प्रतिक्रियाएँ रिपोर्ट करना, जोखिमपूर्ण व्यवहार से बचना।
- **प्रणाली की भूमिका**: रोगियों को सक्रिय भागीदारी के लिए सक्षम बनाना।

नीतिगत ढाँचे एवं संस्थाएँ

- **राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा क्रियान्वयन ढाँचा (2018–25)**: नैदानिक कार्यक्रमों में सुरक्षा एकीकृत करने का रोडमैप।
- **NABH (नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स)**: संक्रमण नियंत्रण एवं रोगी अधिकारों के मानक — लेकिन <5% अस्पताल ही मान्यता प्राप्त।
- **सोसाइटी ऑफ फार्माकोविजिलेंस इंडिया**: प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं की रिपोर्ट करता है।

नागरिक समाज एवं नवाचार

- **पेशेंट सेफ्टी एंड एक्सेस इनिशिएटिव ऑफ इंडिया फाउंडेशन**: सुरक्षित मेडिकल डिवाइस के लिए वकालत।
- **पेशेंट सेफ्टी फाउंडेशन**: जागरूकता अभियान (14 लाख परिवार, 1,100+ अस्पताल, 52,000+ प्रोफेशनल)।
- **CSR और टेक्नोलॉजी**: डिजिटल नवाचार जो त्रुटि कम करें और सुरक्षित कार्यप्रवाह बनाएं।

आगे की राह

- **सुरक्षा की संस्कृति बनाना**: प्रोटोकॉल संस्थागत करना, रोगियों को सशक्त बनाना, स्टाफ की थकान कम करना।
- **पेशेंट एडवाइजरी काउंसिल (PACs)**: अस्पताल निर्णय-निर्माण में रोगियों की भागीदारी (वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरित)।
- रोगी सुरक्षा को नीति और मेडिकल शिक्षा से जोड़ना।
- **नवजातों और बच्चों पर विशेष ध्यान** देते हुए एक राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा आंदोलन शुरू करना।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS - OUR COMMITMENT"

यूपीएससी सिलेबस से लिंक और रणनीतिक उपयोग

---

1. GS पेपर II: शासन, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध

• सिलेबस टॉपिक:

- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ (स्वास्थ्य कल्याण का मुख्य घटक है)
- सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे (स्वास्थ्य एक प्रमुख सामाजिक सेवा है)
- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ (WHO और इसकी पहलों सहित)

• सामग्री का उपयोग कैसे करें:

1. **सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा करने के लिए:**
    - जब **आयुष्मान भारत** जैसी योजनाओं पर चर्चा करें, केवल उनकी विशेषताओं को सूचीबद्ध न करें।
    - तर्क: स्वास्थ्य तक पहुँच पर्याप्त नहीं; गुणवत्ता और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
    - उदाहरण: "हालांकि आयुष्मान भारत ने वित्तीय पहुँच बढ़ाई है, WHO के आंकड़े कि 10 में से 1 मरीज अस्पताल में हानि का सामना करता है, यह दर्शाते हैं कि योजना में **patient safety protocols** को एक मूलभूत घटक के रूप में शामिल करना आवश्यक है ताकि प्रदत्त देखभाल केवल उपलब्ध ही नहीं बल्कि सुरक्षित और प्रभावी भी हो।"
2. **अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा करने के लिए:**
    - WHO के **Global Patient Safety Action Plan** को उदाहरण के रूप में उद्धृत करें।
    - यह दिखाता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं से परिचित हैं।
3. **शासन में चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए:**
    - तथ्य: <5% अस्पताल NABH से मान्यता प्राप्त हैं।
    - यह नीति निर्माण (मानक बनाना) और कार्यान्वयन (अस्पतालों द्वारा पालन) के बीच के अंतर को उजागर करता है।
    - यह शासन संबंधी बाधाओं की समालोचनात्मक समझ दिखाता है।

---

2. GS पेपर I: समाज और सामाजिक न्याय

• सिलेबस टॉपिक:

- भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ (स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे)
- गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे (अस्वस्थता गरीबी का कारण और परिणाम दोनों)

• सामग्री का उपयोग कैसे करें:

1. **स्वास्थ्य को समाज और गरीबी से जोड़ने के लिए:**
    - तर्क: असुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल गरीबी के चक्र को लगातार बढ़ावा देती है।
    - उदाहरण: किसी चिकित्सकीय त्रुटि (जैसे गलत दवा, अस्पताल में संक्रमण) से प्रभावित मरीज लंबी बीमारी, आय का नुकसान और उच्च out-of-pocket खर्च का सामना करता है, जिससे वह और अधिक गरीबी में धकेलता है।
    - निष्कर्ष: इस प्रकार, patient safety केवल चिकित्सा मुद्दा नहीं, बल्कि **मुख्य सामाजिक और आर्थिक मुद्दा** भी है।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

4. 'न्यायिक प्रयोगवाद' बनाम न्याय का अधिकार

1. मुख्य मुद्दा और संदर्भ

- **प्राथमिक चिंता:** सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैवाहिक क्रूरता के खिलाफ कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों को अपनाने की आलोचना की जा रही है, क्योंकि इससे पीड़ितों के अधिकार कमजोर होते हैं।
- **विशिष्ट कानून:** भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 85), जो पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित है।
- **प्रमुख न्यायिक निर्णय:**
    - **इलाहाबाद HC (2022):** Mukesh Bansal vs State of U.P. में 2 महीने की 'कूलिंग पीरियड' और **Family Welfare Committee (FWC)** को रेफ़रल का प्रावधान।
    - **सुप्रीम कोर्ट (2025):** Shivangi Bansal vs Sahib Bansal में इलाहाबाद HC के दिशानिर्देशों की पुष्टि।

---

2. विवादास्पद दिशानिर्देश

- **कूलिंग पीरियड:** FIR/शिकायत दर्ज होने के बाद अनिवार्य 2 महीने की अवधि, जिसमें कोई दबावपूर्ण कार्रवाई (जैसे गिरफ्तारी) नहीं हो सकती।
- **Family Welfare Committee (FWC):** कूलिंग पीरियड के दौरान मामला इस अर्ध-न्यायिक समिति को रेफ़र किया जाना चाहिए।
- **लेखकों की आलोचना:** ये उपाय:
    - पीड़ित के त्वरित न्याय तक पहुँच के अधिकार को कमजोर करते हैं।
    - पुलिस और आपराधिक न्याय एजेंसियों की कार्यात्मक स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं।
    - मौजूदा विधिक और संस्थागत ढांचे के बाहर हैं।

---

3. जाँच और संतुलन का तर्क (न्यायिक दृष्टिकोण)

- **उद्देश्य:** 498A के कथित दुरुपयोग और "अत्यधिक गिरफ्तारियों" को रोकना।
- **मौजूदा सुरक्षा उपाय:**
    - **प्रारंभिक जांच:** सुप्रीम कोर्ट (Lalita Kumari) और नए आपराधिक कानूनों द्वारा वैवाहिक मामलों में FIR से पहले अनिवार्य।
    - **गिरफ्तारी पर प्रतिबंध:**
        - 2008 CrPC संशोधन: गिरफ्तारी के लिए 'आवश्यकता का सिद्धांत' लागू।
        - Arnesh Kumar (2014): SC ने चेकलिस्ट और 'notice of appearance' लागू की।
        - Sarabjit Kumar (2022): गिरफ्तारी Arnesh Kumar दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर जमानत अनिवार्य।
- **रिपोर्टेड प्रभाव:** NCRB डेटा के अनुसार 2015–2022 में 498A अपराध बढ़े, पर गिरफ्तारी घट गई; यह दर्शाता है कि सुरक्षा उपायों ने आरोपी की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए पीड़ितों के अधिकार को प्रभावित नहीं किया।

---

4. दिशानिर्देशों के खिलाफ आलोचना और तर्क

- **समय पर न्याय की अस्वीकृति:** शिकायत दर्ज करने के बाद पीड़ित तुरंत पुलिस कार्रवाई या सुरक्षा नहीं प्राप्त कर सकते।
- **स्थिति की गंभीरता बढ़ाना:** कूलिंग पीरियड पीड़ित को संवेदनशील स्थिति में बनाए रखता है।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- **ऐतिहासिक विफलता का उदाहरण:** Rajesh Sharma (2017) में सुप्रीम कोर्ट का समान प्रयोग, जिसमें FWCs का उपयोग हुआ, व्यापक रूप से "पिछड़ा" और "न्यायिक क्षमता से बाहर" माना गया। इसे 1 वर्ष में बड़े बेंच ने Social Action Forum for Manav Adhikar (2018) में पलट दिया, और आपराधिक न्याय एजेंसियों की सर्वोच्चता बहाल की।
- **अनावश्यक और Ultra Vires:** लेखकों का तर्क है कि दुरुपयोग की आशंका पहले से ही विधायिका और न्यायिक उपायों द्वारा संबोधित की जा चुकी है। नए दिशानिर्देश विधायिका की मंशा और न्यायिक अधिकार से बाहर हैं।

---

5. लेखकों का निष्कर्ष और कार्रवाई का आह्वान

- **सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:** यह एक गलत कदम है जो "पीड़ित के न्याय की तलाश को बाधित करता है।"
- **सुझाव:** कोर्ट को यह निर्णय पुनः देखें और Social Action Forum में स्थापित अपने ही प्रीसिडेंट के अनुरूप इसे पलटना चाहि

यूपीएससी GS Mains से लिंक

---

1. GS पेपर II (राजनीति और शासन)

• न्यायिक सक्रियता / अधिक हस्तक्षेप (Judicial Activism/Overreach) पर प्रश्नों में:

- यह एक प्रमुख उदाहरण है जो **न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अधिक हस्तक्षेप** के बीच की पतली रेखा पर चर्चा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
- **अधिक हस्तक्षेप के पक्ष में तर्क:**
    - दिशानिर्देश (कूलिंग पीरियड, FWC) एक समानांतर अर्ध-न्यायिक प्रणाली बनाते हैं, जो विधायी अनुमोदन के बिना काम करती है।
    - लेखक की आलोचना उद्धृत करें कि ये "मौजूदा विधिक ढांचे से बाहर हैं।"
    - Social Action Forum (2018) केस का हवाला दें, जहाँ बड़े बेंच ने समान न्यायिक प्रयोग (Rajesh Sharma केस) को पलटते हुए कहा कि यह न्यायिक क्षमता से बाहर था।
- **सक्रियता (Activism) के पक्ष में तर्क:**
    - न्यायपालिका इस कारण कदम उठा रही है कि कानूनों के दुरुपयोग को रोकने में विधायिका और कार्यपालिका विफल प्रतीत होती है।
    - उद्देश्य: व्यक्तियों की स्वतंत्रता को मनमानी गिरफ्तारी से बचाना (Arnesh Kumar दिशानिर्देश और NCRB डेटा के अनुसार गिरफ्तारी में कमी)।
- **निष्कर्ष:**
    - संतुलित उत्तर में न्यायपालिका की मंशा को स्वीकार करें, लेकिन उसके तरीके पर प्रश्न उठाएँ। सुझाव दें कि **FWC जैसी नीतियाँ बनाना विधायिका का क्षेत्र है।**

• महिला अधिकार / सामाजिक न्याय पर प्रश्नों में:

- इसका उपयोग अधिकारों के संतुलन की चुनौती पर चर्चा करने के लिए करें।
- **पॉइंट:** 498A जैसी कानून घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं (कमजोर वर्ग के लिए कल्याणकारी उपाय)।
- **काउंटरपॉइंट:**

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS OUR COMMITMENT"

- इसका दुरुपयोग निर्दोष आरोपी को परेशान कर सकता है, जिससे नैतिक और कानूनी दुविधा उत्पन्न होती है।
- "Existing Safeguards" सेक्शन का उपयोग करें ताकि दिखाया जा सके कि कम आक्रामक तंत्र (प्रारंभिक जांच, गिरफ्तारी प्रतिबंध) पहले से मौजूद हैं और काम कर रहे हैं (NCRB डेटा)।
- तर्क: नए दिशानिर्देश अनावश्यक और असंतुलित हैं, जो पीड़ित के न्याय के अधिकार पर गंभीर प्रभाव डालते हैं।

---

2. GS पेपर I (समाज)

• महिला मुद्दों या पितृसत्ता पर प्रश्नों में:

- आलोचना कि दिशानिर्देश "पीड़ित को संवेदनशील स्थिति में बने रहने के लिए मजबूर करते हैं," यह दिखाने के लिए प्रयोग करें कि सिस्टम, भले ही अच्छी मंशा वाला हो, **पितृसत्तात्मक घर में शक्ति संतुलन की वास्तविकताओं** को ध्यान में नहीं रखता।
- तर्क दें कि ऐसे उपाय **अपराधियों के लिए निपुणता की संस्कृति को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे सकते हैं** और महिलाओं को दुर्व्यवहार की रिपोर्टिंग करने से हतोत्साहित कर सकते हैं।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"